(128)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : अपील–सिवनी / भू0रा0 / 2018 / 5918 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 30–7–2018 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण कमांक 609 / 17–18 अपील

सुरेश पिता येशुदास कोठारे
ग्राम सेलुआ तहसील लखनादौन
जिला सिवनी, मध्य प्रदेश ——अपीलांट

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर सिवनी ——रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट के अभिभाषक श्री वाई0के0पटैल)

आ दे श

(आज दिनांक 15–4–2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 609/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–7–2018 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपीलांट ने कलेक्टर सिवनी को आवेदन प्रस्तुत कर मांग रखी कि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे नंबर 46/16 रकबा 0.028 हैक्टर में से वह 1120 वर्गफुट का प्लाट पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के विक्रय करना चाहता है इसलिये विक्रय की अनुमति प्रदान की जावे। कलेक्टर सिवनी व्दारा अपीलांट के आवेदन की जांच कराते हुये सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 22–11–17 पारित किया तथा प्लाट विक्रय से अवैध कालोनी निर्माण किये जाने का स्वरूप पाने के आधार पर विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने प्रकरण कमांक 609/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–7–2018 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलांट के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे

नंबर 46/16 रकबा 0.028 हैक्टर में से वह 1120 वर्गफुट का प्लाट पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विक्रय करना चाहता है। यह भूमि अपीलांट की पैत्रिक भूमि है शासन से पटटे पर मिली भूमि नहीं है। अपीलांट की ऑखों की रोशनी चली गई है जिसका वह चेन्नई में इलाज कराने एंव एक पुत्री के विवाह करने के लिये पैसों की आवश्यकता होने से भूमि विक्रय कर रहा है। भूमि को बटवारे में प्राप्त करके आवासीय प्रयोजन के लिये मद परिवर्तन भी करा लिया गया है किंतु विक्रय अनुमति देने पर कलेक्टर सिवनी ने एंव अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर ने विचार न करने में भूल की है। उन्होंने भूमि के विक्रय की अनुमति दिये जाने की मांग रखी।

4/ अपीलांट के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि मौजा सेलुआ तहसील लखनादौन अधिसूचित क्षेत्र है। जहां तक अपीलांट को भूखंड के विक्रय की अनुमति दिये जाने का प्रश्न है ? अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 609/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–7–2018 में विवेचित किया है कि भूमि का कृषि प्रयोजन से आवासीय प्रयोजन में डायवर्सन कराये जाने के उपरांत तत्काल उक्त भूखण्ड को विकीत किये जाने की अनुमति का आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे परिलक्षित है कि अपीलार्थी व्दारा निश्चित ही भूखंड को विक्रय किये जाने के उद्वेश्य से ही डायवर्सन कराया है। इस संबंध में कलेक्टर सिवनी ने आदेश दिनांक 22–11–17 में निष्कर्ष दिया है कि यदि अपीलांट को विक्रय की अनुमति प्रदान की जाती है तब निश्चित है कि अवैध कालोनी निर्मित किये जाने के कृत्य का हिस्सा हो जावेगा। इसी आशय का निष्कर्ष देते हुये अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने अपीलांट की प्रथम अपील निरस्त की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिनमें हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 609/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–7–2018 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर